न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2012/00001

1. भैरूलाल पुत्र रामकुंवार जाति मीणा आयु 27 वर्ष ।
2. गिरिराज पुत्र रामकुंवार जाति मीणा आयु 24 वर्ष निवासीगण मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूलाल आत्मज भूली जी जाति मीणा निवासी कोटसुवा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. बद्रीलाल आत्मज औंकार जाति मीणा निवासी कोटसुंवा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी ग्राम नीमोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   - 2/1. इन्द्रराज पुत्र बद्रीलाल मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम निमोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   - 2/2. सुशीला पुत्री बद्रीलाल जाति मीणा निवासी के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   - 2/3. लाडबाई पुत्री बद्रीलाल जाति मीणा निवासी चरडाना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   - 2/4. कमलेश पुत्री बद्रीलाल जाति मीणा निवासी बालापुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री ओम प्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री भगवती बल्लभ शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओरे से ।

निर्णय **दिनांकः 18.11.2022**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कोटसुंवा तहसील दीगोद में अन्य भूमियों के साथ खसरा नम्बर 407 की रकबा 13 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रतिवादी कम 01 के पिता औंकार आत्मज भुवाना के खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 455 की रकबा 0.09 हैक्टर कायम किये गये । उक्त भूमि पर केचमेंट कार्य हो गया और बाद केचमेंट उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 1158 की 0.08 हैक्टर दर्ज किये गये । उक्त भूमि औंकार जी के खाते में दर्ज होने के कारण उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी कम 01 के खाते में दर्ज हुई और बाद में प्रतिवादी कम 01 ने अपने खाते की समस्त भूमि जिसमें वादी के कब्जे की खसरा नम्बर 1158 की रकबा 0.08 हैक्टर भूमि शामिल है को प्रतिवादी कम 2 व 3 को बेचान कर दिया और वर्तमान में खसरा नम्बर 1158 की रकबा 0.08 हैक्टर भूमि प्रतिवादी कम 2 व 3 के नाम दर्ज है । खातेदार औंकार जी ने अपने जीवनकाल में खसरा नम्बर 407 की भूमि को वादी के नाना लाखा आत्मज भवाना मीणा को दिनांक 03.07.1961 को तहरीर आलेखित कर बेचान कर दी और प्रतिफल की राशि प्रापत कर मौके पर कब्जा संभला दिया तब से ही लाखा जी का बहैसियत खातेदार व उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा था । लाखा जी के कोई पुत्र संतान नहीं थी और केवल पाना बाई पुत्री थी । वादी पाना बाई का लडका है तथा वादी अपने नाना के पास रह कर ही उनके जीवनकाल में ही उक्त भूमि को काश्त करता चला आ रहा है तथा लाखा की मृत्यु के बाद भी वादी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादी उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदार बन चुका है । प्रतिवादी का उक्त भूमि पर पिछले 48 वर्षों से कब्जा नहीं रहा है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का स्वयं को खातेदार घोषित करावे तथा अपने पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी को वादग्रस्त आराजी का कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि को प्रतिवादीगण के खाते से हटाया जाकर वादी के खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वंय प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.02.20212 के द्वारा वाद वादी आंशतः स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी से वादी को बिना विधिक प्रकिया अपनाए बेदखल नहीं करने एवं उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2012 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 2 व 3 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी स्व0 औंकार जी द्वारा कभी बेचान नहीं की गई तथा विवादित भूमि अपीलान्ट को खातेदार रेस्पोडेन्ट कम 2 को विधिवत रूप से विक्रय पत्र से बेचान कर कब्जा संभलाया गया है, तब से ही वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना

निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना गलत रूप से एकतरफा निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी औंकार जी द्वारा कभी बेचान नहीं की गई तथा विवादित भूमि अपीलान्ट को खातेदार, रेस्पोडेन्ट कम 02 को विधिवत रूप से विक्रय पत्र से बेचान की गई है तथा कब्जा अपीलान्ट को संभलाया गया, तब से ही अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त है । रेस्पोडेन्ट कम 01 के द्वारा न तो इंतकाल की अपील की है और न ही विक्रय पत्र को चुनौती दी है । विक्रय पत्र को चुनौती देने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। रेस्पोडेन्ट कम 01 वादी द्वारा अपने वाद में विवादित भूमि को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है जिसे परीक्षण न्यायालय ने वादी की दोनों रिलीफ प्राप्त करने योग्य नहीं माना तथा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर वादी द्वारा अपने वाद में चाहे गये रिलीफ से हटकर वादी को अपना कब्जा प्रोटेक्ट किये जाने की डिक्री पारित की गई है । परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को उक्त प्रकरण की कोई सूचना नहीं दी गई । दिनांक 28.09.2011 को तामील अदम तामील प्राप्त हुई तथा वादी द्वारा अपीलान्ट की तलबी रजिस्टर्ड एडी से करवाना चाहते हैं ऐसा अपनी आदेशिका में लिखा तथा दिनांक 01.01.2012 को परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सूचना दिये अपीलान्ट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही कर दी गई । वादी रेस्पोडेन्ट कम 02 का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने अपंजीकृत बेचाननामा भी नहीं माना और एडवर्स पजेशन भी नहीं माना तथा स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं माना ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय को वाद खारिज किया जाना चाहिए था परन्तु परीक्षण न्याालय ने अन्त में उक्त वाद को स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है । वर्तमान में हमारा कब्जा है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत नोटिस तामील करवाये । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2012 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा के अन्तर्गत हक घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20.09.2011 के अंकित किया गया है कि प्रतिवादी कम 2 व 3 की तलबी रजिस्टर्ड एडी से

करवाना चाहते हैं, पत्रावली दिनांक 24.10.2011 को पेश हो । उसके बाद दिनांक 24.10.2011 एवं दिनांक 08.11.2011 की आदेशिका में तलबी बाबत् कोई उल्लेख नहीं है । उसके पश्चात् दिनांक 03.01.2012 की आदेशिका में सीधे ही प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने का आदेश पारित किया है। अपीलान्ट की प्रोपर तामील के सम्बन्ध में सम्मन का अवलोकन से भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है । अतः यह प्रतीत होता है कि अपीलान्ट को सम्मन तामील नहीं हुए । राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज है । अतः उपर्युक्त स्थिति में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में उचित है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय में सीपीसी के प्रावधानों की पालना किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सम्पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । प्रकरण काफी पुराना है अतः परीक्षण न्यायालय समयबद्ध रूप से इसका निस्तारण करे । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.12.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 18.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा